भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराना

किसी मण्डली के लिए नई चर्च बिल्डिंग बनाना बहुत बड़ी आशीष भी हो सकती है और फूट का बहुत बड़ा कारण भी। इसके लिए धन जुटाना एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती सिद्ध हो सकती है। इमारत पर इतना समय, धन और सामर्थ लग सकता है कि मण्डली के पास खोए हुओं को ढूंढ़ने और उनके उद्धार के अपने मिशन को पूरा करने के लिए बहुत कम बचे या हो सकता है कि बचे ही न। इसके अलावा इस बात पर भी अक्सर विवाद पैदा हो जाता है कि चर्च बिल्डिंग का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। इन तथ्यों से यह सुझाव मिलता है कि कलीसिया के अगुओं को चर्च बिल्डिंग से उठने वाले प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

''क्या कलीसिया के पास अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए?''

एक प्रश्न जो शायद नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाना चाहिए, वह यह है कि कलीसिया के पास बिल्डिंग होनी चाहिए या नहीं। इसके पक्ष में या इसके विरोध में कई बातें कही जा सकती हैं।

बिल्डिंग होने के नुक़्सान

एक तरफ तो कुछ हद तक अच्छा है कि कोई मण्डली बिल्डिंग में अपना समय और धन न लगाए। आइए इन चार कारणों पर विचार करते हैं।

1. *चर्च बिल्डिंगों की आवश्यकता नहीं है।* बाइबल यह मांग नहीं करती कि हर मण्डली को अपनी बिल्डिंग बनानी चाहिए या उसके पास अपनी बिल्डिंग होनी ही चाहिए। नये नियम के समयों में स्पष्ट तौर पर मण्डलियां अलग – अलग जगहों पर इकट्ठी होती थीं जिसमें सदस्यों के घर, किसी के घर या किराए के मकान भी होते थे। चर्च बिल्डिंग होने का सबसे पहला प्रमाण चौथी सदी में मिलता है।[1]

2. *बिल्डिंगें बनाने में बहुत सा समय और धन लग सकता है।* चर्च बिल्डिंगों में अक्सर मण्डली का बहुत सा धन, समय और ध्यान लग जाता है। अधिकतर समय बिज़नेस मीटिंगों और चर्च बिल्डिंग से जुड़ी बातों पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई ऐल्डरों की मीटिंगों में और इन सुविधाओं को बनाए रखने के लिए लगता है कि कितना समय और धन

(बजट का प्रतिशत) इसके लिए रखा जाए। कलीसिया यदि इतना ही समय, धन और ध्यान देश में या बाहर, आत्माओं के उद्धार के लिए लगाए तो शायद इससे अधिक लोगों का उद्धार हो सकता है। इसके अलावा चर्च बिल्डिंग पर लगने वाला खर्च कभी बन्द नहीं होगा। कलीसिया के बढ़ जाने पर, बड़ी इमारत की आवश्यकता पड़ती है, और फिर उससे बड़ी इमारत की, और फिर उससे भी बड़ी इमारत की। इस दौरान इस बिल्डिंग को बनाने में बजट का बहुत सा भाग खर्च हो जाता है, और यह क्रम चलता ही रहता है। कभी – कभी ऐसा लगता है कि मण्डली के पास वह फंड नहीं है जिसकी उसे आवश्यकता है, उदाहरण के लिए मिशन कार्य करने के लिए।

3. *स्वामित्व फलदायक नहीं है।* कम से कम एक स्थिति में, चर्च बिल्डिंगों का उतना लाभ नहीं मिलता जितना उन पर समय या धन लगाया जाता है। अधिकतर चर्च बिल्डिंगों का ज़्यादातर भाग अर्थात प्रार्थना और अध्ययन के लिए बनाया भाग और ज़्लासरूम अज़्सर सप्ताह में केवल कुछ घंटों के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। ज़्या कोई व्यापारी इतने कम इस्तेमाल के लिए इतनी बड़ी इमारत बना सकता है ?

4. *कलीसिया के बढ़ने के लिए चर्च बिल्डिंगें आवश्यक नहीं हैं।* कुछ मण्डलियां ऐसी होती हैं जिन्होंने बिना चर्च बिल्डिंगों के ही बहुत विकास किया है।

बिल्डिंग होने के लाभ

दूसरी ओर, कलीसिया की अपनी चर्च बिल्डिंग होने के अच्छे कारण दिए जा सकते हैं।

1. *चर्च बिल्डिंगें होना परज़्परागत है।* हमारे युग में कुछ इलाकों में बहुत कम कलीसियाएं या धार्मिक समूह होंगे जिनके पास अपना प्रार्थना भवन न हो। एक नियम के रूप में बढ़ने वाली और न बढ़ने वाली सब कलीसियाओं की अपनी – अपनी बिल्डिंगें हैं।

2. *बिल्डिंगों का इस्तेमाल अच्छी तरह किया जा सकता है।* उचित उपयोग न होने के आधार पर बिल्डिंग होने पर आपज़ि करने को कुछ हद तक ऐसी बिल्डिंगें बनाकर दूर किया जा सकता है जो आवश्यकता के अनुसार हों, उनका सही उपयोग किया जाए और कलीसिया के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से बनाई गई हों, सप्ताह में कई घंटे उनका इस्तेमाल किया जाता हो।

3. *अपनी बिल्डिंग होने से कलीसिया के लोगों को मिले तोड़ों का इस्तेमाल करने का अवसर मिल जाता है।* सदस्यों द्वारा दान में दिया गया समय जो चर्च बिल्डिंग की मरज़्मत पर लगा हो (उदाहरण के लिए, विशेष ठहराए हुए दिनों में) आवश्यक नहीं कि उसका इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से सुसमाचार के प्रचार पर किया जाना हो। बहुत से मसीही लोग मानते हैं कि वे बिल्डिंग बनाने के कार्य में अपनी योग्यता के अनुसार लकड़ी, पलज़्बर, इलैज़्ट्रिशियन आदि का काम कर सकते हैं पर वे सुसमाचार के प्रचार के लिए काम नहीं कर सकते।

किसी कलीसिया के पास चर्च बिल्डिंग होनी चाहिए या नहीं इस प्रश्न का उज़र अज़्सर

पूछे जाने से पहले ही दे दिया जाता है। सदस्य ऐसी मण्डली के अस्तित्व के बारे में सोच ही नहीं सकते जिसके पास अपनी या किराए की बिल्डिंग न हो।

''ज़्या कलीसिया को बिल्डिंग बनानी चाहिए? कहां? इसकी कीमत कैसे चुकाई जाएगी?''

चर्च बिल्डिंग के छोटी लगने पर कुछ प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। तब, कलीसिया के अगुओं को इस बात का फैसला करना चाहिए कि उन्हें नई इमारत बनानी चाहिए या नहीं, कहां बनाई जाए और उसका खर्च कैसे चुकाया जाएगा।

''ज़्या हम इमारत बनाएं?''

हाल ही का इतिहास हमें ज़्या बताता है? 1960 के दशक में ''विशेषज्ञ'' भाई उन्नति कर रही कलीसियाओं को सुझाव दे रहे थे कि जब उनकी इमारतें 80 प्रतिशत तक भी भरने लग जाएं तो वे उनकी जगह नई बिल्डिंग बना लें। ऐसी बातें कही जाती थीं: ''नई इमारत बना लो। इस पर आने वाले खर्च के लिए उधार लिए जाने वाले धन की चिंता न करो। आने वाले लोगों से वहां उस नई इमारत की कीमत अदा हो जाएगी!''

बहुत से मामलों में, यह सलाह मान ली गई, लेकिन जिस परिणाम की भविष्यवाणी की गई थी वह न मिला। अज़्सर ऐसा होने लगा कि जिस कलीसिया की बिल्डिंग में 200 लोगों के बैठने की जगह होती थी और औसतन उसमें 170 लोग आते थे, उन्होंने 500 लोगों के बैठने योग्य बिल्डिंग बना ली। फिर यह सांकेतिक प्रतिज्ञा कि नई बिल्डिंग से नए सदस्य आएंगे कारगर न हुई। परिणामस्वरूप, 200 सदस्यों वाली मण्डली दस साल बाद 500 लोगों के लिए बनाए गए भवन में इकट्ठी होने लगी और अपनी स्पष्ट आवश्यकता के कारण निराश हो गई।

1960 के दशक में कलीसिया के बढ़ने की संभावना और जिसे ''चर्च बिल्डिंग मेनिया'' या ''गिरजे बनाने का जनून'' कहा जा सकता है, होने के कारण पूरे अमेरिका के बहुत से नगरों में 600 से 900 लोगों के बैठने के लिए बनाए गए भवनों में अब 150 से 300 लोग बैठते हैं।[2] इस तथ्य के दोहरे परिणाम हैं: (1) *कलीसियाओं पर कर्ज़ का बहुत बोझ पड़ गया है।* द *क्रिश्चियन क्रोनिकल* ने बहुत सी कलीसियाओं के सामने आने वाली कर्ज़ की समस्या पर लेखों की एक शृंखला[3] लिखी ज़्योंकि आराधना के लिए इकट्ठे होने का स्थान बनाने के सज़्बन्ध में नासमझी से लिए गए निर्णय के कारण कर्ज़ बढ़ गया था (2) *मण्डलियों को निराशा हुई।* रविवार की प्रात: प्रार्थना भवन का एक हिस्सा भरा देखने और इमारत के दूसरे खर्चे देने के लिए सुसमाचार प्रचार के कार्यक्रमों में कटौती की मनोवैज्ञानिक कीमत का हिसाब नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सज़्भवत: इससे कलीसिया में दूसरी बहुत सी बुराइयां बढ़ती हैं।

साफ़ – साफ़ कहें तो पश्चदृष्टि अर्थात पीछे की ओर देखना दूर दृष्टि से अच्छी होती है। हो सकता है कि यह देखना कि 1970 से पहले के कलीसिया के अधिकतर विकास का

कारण, ''एकदम आई तेज़ी'' है, और वह तेज़ी ''खत्म'' हो जाएगी, और कलीसिया का विकास संज्या के तथ्यों से प्रभावित होगा। यह याद रखना ढाढ़स बंधाने वाला हो सकता है कि बहुत सी जगहों में स्कूल की इमारतें पहले बड़ी बना ली जाती हैं और बाद में उन इमारतों को बेचना पड़ता है। यदि स्कूल के प्रबन्धकों को भविष्य दिखाई नहीं देता, तो ऐल्डरों को ऐसा करने की ज़्या आवश्यकता है? बहुत से बड़े - बड़े व्यवसाय पहले से पूर्व सूचना देने वाले उच्च तकनीक के यंत्रों का इस्तेमाल करने के बावजूद जो अधिकतर कलीसियाओं के पास नहीं होते, भी गलत निर्णय ले लेते हैं।[4]

हम कैसे फैसला ले सकते हैं? किसी नई इमारत के निर्माण के बारे में ज़्या कहा जा सकता है? सबसे पहले कलीसिया के अगुओं के लिए यह समझना आवश्यक है कि किसी इमारत को बनाने का फैसला कलीसिया का सबसे बड़ा फैसला (सदस्यों के मनों में) हो सकता है। इसलिए उन्हें यह फैसला करने से पहले कि बिल्डिंग बनाई जाए या नहीं सदस्यों के साथ बहुत समय तक विचार - विमर्श करते हुए उनकी सलाह लेकर सदस्यों में सर्वसज़्मति बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

इसके अलावा, प्रार्थना भवन बनाने या न बनाने का फैसला करने से पहले कलीसिया के सामने और भी कई प्रश्न रखे जाने चाहिए।

''हमें नई इमारत की ज़्या आवश्यकता है?'' पुराने समय में सज़्भव है कि इमारत के उद्देश्य से बढ़कर नई इमारत बनाने का फैसला मण्डली के गर्व या प्रचारक के घमण्ड की अधिक बात होती हो। नई इमारत बनाने का विचार करते समय यह प्रश्न पूछा जाना अधिक महत्व रखता है कि ज़्या नई इमारत से कलीसिया को अपने उद्देश्य अर्थात आत्माओं के उद्धार और उन्हें बनाए रखने को पूरा करने में सहायता मिलेगी?

''ज़्या कोई विकल्प है?'' हो सके तो कलीसिया के अगुओं को बिल्डिंग बनाने के अत्यधिक खर्च पर विचार करते हुए, दूसरा ढंग खोजने की कोशिश करनी चाहिए। कई विकल्पों पर विचार किया जा सकता है: (1) ज़्या वर्तमान भवन की मरज़्मत की जा सकती है और/या वर्तमान या भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे बड़ा किया जाना आवश्यक है? (2) ज़्या ऐसा हो सकता है कि आराधना एक से अधिक बार करके सदस्यों को अलग - अलग समय पर आने के लिए कह दिया जाए? अधिकांश सदस्य ऐसी सज़्भावना को पसन्द नहीं करते, और कलीसिया के अगुओं को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन यह सज़्भव है कि उन्हें इस विकल्प के बारे में शिक्षित किया जा सके। (3) ज़्या इमारत न होने पर कलीसिया बढ़ सकती है? अधिकांश सदस्य तो ''नहीं'' कहेंगे, पर कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है।

''ज़्या हम यह कल्पना कर सकते हैं कि पिछले समय में हुए विकास का अर्थ है कि भविष्य में भी कलीसिया बढ़ेगी?'' हम पज़्का नहीं कह सकते कि नई बिल्डिंग के बनने से आराधना में अधिक लोग आएंगे! यह तय करने के लिए कि पहले हुआ विकास आगे भी होता रहेगा या नहीं चलता रहेगा, इन तथ्यों पर गौर करने का प्रयास होना चाहिए कि भविष्य में हमारे समाज और कलीसिया में ज़्या होगा: (1) ज़्या पिछले समय में कलीसिया ऐसे

कारणों से बढ़ी है जो अब व्यावहारिक नहीं हैं, उदाहरण के लिए क्षेत्र में मजदूरी के लिए आने वाले प्रवासियों के कारण जबकि अब ऐसा नहीं है या अब नये लोग नहीं आएंगे ? (2) ज़्या क्षेत्र के लोग बूढ़े हो रहे हैं ? ज़्या जवान लोग नौकरी की तलाश में बाहर जा रहे हैं ? (3) वहां कैसे लोग रहते हैं ? ज़्या कलीसिया ऐसे इलाके में है जहां नये घर बन रहे हैं ? ज़्या कलीसिया ऐसी जगह है जो शहर के भीड़ वाले क्षेत्र में आ जाएगी ?

प्रार्थना भवन बनाया जाए या न, कितना पैसा खर्च किया जाए, ज़्या बनाया जाए और कहां बनाया जाए का फैसला लेने से पहले इन और दूसरे प्रश्नों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जेज़्स निज़्स ने सुझाव दिया है, ''योजना के निचले पक्ष के बारे में पूछें। वास्तविक प्रश्न जो पूछे जाने चाहिए, 'यदि हम योजना के अनुसार न बढ़ें तो ज़्या होगा ?''यदि प्रचारक छोड़कर चला जाए तो ज़्या होगा;' 'यह मण्डली कितनी स्थिर है ?' मण्डली की उपस्थिति और चंदे के रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें।''[5]

''बिल्डिंग कहां बनाएं ?''

यदि बिल्डिंग या प्रार्थना भवन बनाने का फैसला ले लिया जाता है, तो यह नई बिल्डिंग *कहां* बनाई जानी चाहिए ?

स्पष्ट है कि सबसे अच्छी जगह मुज़्य सड़क या मार्ग पर होगी जहां से आम लोग आसानी से राजमार्ग तक पहुंच सकें, आबादी और क्षेत्रफल बढ़ रहा हो। (मुझे भूमि भवन सज़्बन्धी महत्व के तीन नियम याद आते हैं: ''लोकेशन। लोकेशन। लोकेशन।'') समस्या यह है कि सब बातें हमेशा समान नहीं होतीं। ज़्या किसी कलीसिया को अपने इकट्ठे होने का स्थान घट रहे पड़ोसियों से कहीं दूसरी जगह ले जाना चाहिए ज़्योंकि इसके बहुत से सदस्य वहां से चले गए हैं ? यदि ऐसा किया जाता है, तो ज़्या उन लोगों की सेवा कोई नहीं करेगा – विशेषकर ज़्या उनके लिए कोई ''जीवन का जल'' उलपज़्ध नहीं कराएगा ? दूसरी ओर, ज़्या किसी कलीसिया को अपने बहुत से विश्वासी सदस्यों के बहुत दूर हो जाने के बावजूद अपनी बिल्डिंग नई जगह पर ले जानी चाहिए, चाहे उस जगह और पुरानी बिल्डिंग से बहुत से लोगों का भावनात्मक लगाव हो और उनमें से कई लोगों ने उस पुरानी बिल्डिंग के निकट होने के कारण वहीं पर रहने का फैसला कर लिया हो ?

कलीसिया को बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे उज़म जगह के रूप में चुनने के लिए अधिक भावनात्मक प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। *कलीसिया के अगुओं को अपने विचार देने चाहिए कि प्रार्थना भवन कहां बनाया जाए।*

''बिल्डिंग का पैसा कैसे भरा जाएगा ?''

बनाने के समय आवश्यक नहीं कि कलीसिया के पास पूरा धन हो।[6] फिर कलीसिया के अगुओं के सामने यह प्रश्न होगा कि नई बिल्डिंग बनाने के लिए धन कहां से जुटाया जाए। इस सज़्बन्ध में उनके लिए याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि वे (प्राय:) आर्थिक मामलों में विशेषज्ञ नहीं होते। उन्हें आर्थिक मामलों में अपने से अधिक जागरूक लोगों से

सलाह ले लेनी चाहिए (जिसका अर्थ यह है कि उन्हें उन लोगों से भी सलाह ले लेनी चाहिए जो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए धन नहीं लगा रहे)। *क्रिश्चियन क्रोनिकल* में ''स्ट्रेटेजिस्ट गिव्ज़ हिंट्स फ़ॉर डैट मैनेजमेंट''[7] नामक एक लेख में, जेज़्स निज़्स ने सुझाव दिया,

> क. ''मण्डली के बाहर से पर्याप्त कानूनी और आर्थिक सलाह ले लें। कलीसिया के सदस्यों को सभी कानूनी और आर्थिक दस्तावेज़ों का विश्लेषण कर लेना चाहिए। ... उधार देने वालों की सलाह लेने से बचें जो आप से और धन कमाने के लिए कोई उल्टी सलाह दे सकते हैं।''
>
> ख. ''अपनी पुरानी सज़्पज़ि के बाज़ार मूल्य के बारे में व्यावहारिक बनें। मूल्यांकन अज़्सर घटते बढ़ते रहते हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि बिल्डिंग को बेचने से असल में कितना धन मिलेगा। ... पुरानी जगह बेचे बिना नई जगह के लिए कर्ज़ लेना जोखिम भरा काम है। ...''
>
> ग. ''तेज़ी से बढ़ने वाले भुगतान करने में फंसने से बचें। बाद में चुकाने वाले भुगतान पहले तो आसान लगते हैं पर वास्तव में उन्हें पूरा करना बड़ा कठिन होता है।''
>
> घ. ''प्रोजेज़्ट के ऊपर रहें। अगुओं को विज़ीय समितियों द्वारा खोज से अपने आपको अलग नहीं करना चाहिए। विशेष बातों में सभी आंकड़ों का मूल्यांकन और विश्लेषण करने का एक ढंग ठहरा लें और हां या न का फैसला लें। यदि विश्लेषण की प्रक्रिया से पता चलता है कि इस प्रोजेज़्ट में काम करना लाभदायक नहीं है तो उसे बन्द करने के लिए तैयार रहें। ...''
>
> ङ ''नई बिल्डिंग का खर्च पूरा करने या पुराना कर्ज चुकाने के कई ढंगों पर विचार करें।''

''कैसी बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए?''

कलीसिया के अगुओं को यह भी पूछना चाहिए कि बिल्डिंग कैसी बनाई जाए। पिछले समय में इस प्रश्न पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। बहुत सी चर्च बिल्डिंगों में बहुत बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, पर दूसरी किसी भी बात पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। बाहर से, ऐसा लगता है जैसे वे बिल्डिंगें, जैसा कि मैंने कहीं से सुना था, भवन निर्माण के ''प्राचीन विविधता'' शैली हो।

बिल्डिंग बनाने में कम से कम पांच निज़्न विशेष बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

अपनी विज़ीय स्थिति

स्पष्ट है कि कलीसिया को उतनी ही बड़ी बिल्डिंग बनानी चाहिए जितनी का वह भुगतान कर सके। दूसरे खर्चों पर विचार करने से बिल्डिंग पर कम खर्च करने के बारे में सोचा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगुओं को भण्डारीपन पर भी विचार करना चाहिए कि ''प्रभु के धन'' का इस्तेमाल अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे हो सकता है?[8] उन्हें सारे संसार में सुसमाचार का प्राचार करने की ज़िज़्मेदारी पर भी विचार करना चाहिए। एक मण्डली अपनी पहुंच से कम धन खर्च सकती है ताकि वह मिशनों पर और धन लगा सके।

आकार

हॉल काफी बड़ा होना चाहिए, और ज़्लासरूम हॉल के अनुकूल ही होने चाहिए। इसके अलावा गोदाम, दफ़्तर आदि के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।

इरा नॉर्थ ने अपनी पुस्तक *बैलेंस* में अच्छा सुझाव दिया है। उसने सुझाव दिया है कि कलीसिया को नई बिल्डिंग तब तक नहीं बनानी चाहिए जब तक उनमें इतने लोग न हों कि यह सप्ताह के पहले दिन पूरी तरह से भर न सकती हो। इस प्रकार नई बिल्डिंग से कलीसिया को अपने विकास को कम करने के मनोवैज्ञानिक दबाव के बजाय मनोवैज्ञानिक शक्ति मिलती है।[9]

उपयोगिता, व्यावहारिकता, या लाभ

बिल्डिंग इस तरह बनाई जानी चाहिए कि इसके उद्देश्यों का पूरा लाभ उठाया जाए। (1) उदाहरण के लिए, ज़्योंकि गाना ऑडिटोरियम में होता है, इसलिए इसका डिज़ाइन मण्डली के गाने को आसान बनाने के लिए, जिसमें मण्डली के गाने को और अच्छा बनाने के लिए जो भी आवश्यक हो किया जाना चाहिए। (2) ज़्योंकि प्रचार ऑडिटोरियम में ही होता है, इसलिए इसे इस तरह तैयार किया जाना चाहिए जिससे प्रचारक के लिए विज़ुअल एड्स का इस्तेमाल करना सज़्भव हो। (3) शिक्षा ज़्लासरूमों में दी जाती है, इसलिए उन कमरों को शिक्षा देने के योग्य बनाया जाना चाहिए। इसके लिए, यदि कोई शिक्षा के बारे में विशेष तौर पर बाइबल ज़्लासों के बारे में कुछ जानता हो तो ज़्लासरूम तैयार करने के लिए उसकी सहायता लेना एक अच्छा विचार होगा। (4) यदि शिक्षा देने का काम हॉल में होता है, तो बिल्डिंग इस तरह से बनाई जानी चाहिए जिससे हॉल को आसानी से आराधना के स्थान से ज़्लासरूम में बदला जा सके। (5) यदि कलीसिया खाना मिलकर खाती है तो बिल्डिंग इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें सब लोग आराम से बैठकर भोजन कर सकें। (6) यदि कलीसिया को छोटे बच्चों वाले परिवारों को आकर्षित करने की उज़्मीद है, तो ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिनसे उन बच्चों की सज़्भाल करना आसान हो। (7) यदि एक दूसरे से मिलने को उत्साहित किया जाना है, तो हॉल और लौबी इतने बड़े होने चाहिए कि लोग खड़े होकर बात कर सकें।

सुन्दरता

उपयोगिता ज़रूरी है, लेकिन सुन्दरता भी आवश्यक है। कम शब्दों में कहें तो बिल्डिंग इतनी गन्दी नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर को पसन्द ही न आए। व्यावहारिक तौर पर जहां तक सज़्भव हो बिल्डिंग को सुन्दर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बिल्डिंग के बाहर सुन्दर और अच्छा प्राकृतिक दृश्य होना चाहिए। इसी तरह बिल्डिंग को अन्दर से भी जहां तक सज़्भव हो अच्छे ढंग से तैयार किया और मोहित करने वाला होना चाहिए। मोहित करने वाले का अर्थ सज़्भवत: यह है कि कलीसिया के अगुओं के अलावा कोई और बिल्डिंग के लिए रंग आदि का चयन करे। यह काम अच्छी पसन्द वाली विश्वासी महिलाएं अच्छे ढंग से कर सकती हैं।

समाज के अनुरूप

बिल्डिंग अपने समाज के लिए उपयुज़्त होनी चाहिए। जो मुज़्य शहर के लिए उपयुज़्त है आवश्यक नहीं कि वह गांव के लिए भी उपयुज़्त हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अमेरिका में उपयुज़्त है, आवश्यक नहीं कि वह दूसरे देशों में भी उपयुज़्त हो। मिशनरियों को दूसरे देशों में अमेरिकी प्रार्थना भवनों की नकल करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

''कलीसिया बिल्डिंग का इस्तेमाल कैसे करेगी?''

ये प्रश्न भी उठते हैं कि कलीसिया उस बिल्डिंग या प्रार्थना भवन का इस्तेमाल कैसे करेगी और उसकी देखभाल कौन करेगा। सामान्य रूप में चर्च बिल्डिंग या प्रार्थना भवन को उन कार्यों को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने कलीसिया को करने के लिए दिए हैं एक सहायक के रूप में माना जाना चाहिए। उन कार्यों को सुसमाचार का प्रचार, सिखाने, परोपकार के काम और आराधना के रूप में संक्षिप्त किया जा सकता है। कलीसिया की सुविधाओं का इस्तेमाल इन उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा किसी और काम के लिए नहीं होना चाहिए।

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम चर्च बिल्डिंग या प्रार्थना भवन में भोजन नहीं कर सकते। भोजन अपने आप में मंजिल नहीं है; यह तो मंजिल तक पहुंचने का एक साधन है। ''भोजन की संगति'' का उद्देश्य सुधार (और कभी - कभी सुसमाचार का प्रचार) है।

अन्य उद्देश्यों के लिए चर्च बिल्डिंग या प्रार्थना भवन के इस्तेमाल के बारे में और कई कठिन प्रश्न हो सकते हैं। इनके बारे में हम दो सुझाव दे सकते हैं: (1) महत्वपूर्ण प्रश्न यही पूछा जाना चाहिए कि ''अंतिम लक्ष्य ज़्या है?'' यदि किए जाने वाले कार्य का कोई आत्मिक उद्देश्य नहीं है या यह कलीसिया को दिए परमेश्वर के कामों में से किसी को पूरा करने में सहायक नहीं है, तो यह कार्य नहीं किया जाना चाहिए। (2) हमें याद रखना चाहिए कि चर्च बिल्डिंग अपने आप में आवश्यकता नहीं बल्कि आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक उपाय है। इसलिए हमें इसके बारे में कठोर नियम बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए।

चर्च बिल्डिंग या प्रार्थना भवन की अच्छी तरह से देखभाल के कारणों पर भी प्रश्न उठ सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी को लग सकता है कि चर्च बिल्डिंग ''पवित्र'' है ज़्योंकि यह ''प्रभु के धन'' से खरीदी गई है, और इसलिए हमें ''वेदी'' में बड़े आदर और भय के साथ आना चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा का विरोध करना चाहिए। ''चर्च बिल्डिंग'' ''वेदी'' के समान नहीं है, न ही यह तज़्बू या मन्दिर के बराबर है। तज़्बू और मन्दिर कलीसिया की परछाई हैं, न कि चर्च बिल्डिंग या प्रार्थना भवन की। चर्च अर्थात कलीसिया और बिल्डिंग को कभी भी आपस में उलझाना नहीं चाहिए, ज़्योंकि चर्च लोगों को कहा गया है न कि इमारत या भवन को।

इसके साथ ही, चर्च बिल्डिंग की देखभाल के अच्छे कारण भी हैं। हमें इसकी देखभाल इन कारणों के लिए करनी चाहिए: (1) यह हमारी है ज़्योंकि हम इसके लिए पैसे दे रहे हैं। (2) यह हमारी निजी सज़्पज़ि नहीं है। एक अर्थ में यह सार्वजनिक सज़्पज़ि है और

हमें सार्वजनिक सज़्पज़ि या दूसरों की सज़्पज़ि का ध्यान रखना चाहिए। (3) बिल्डिंग सुन्दर दिखाई देने से मण्डली को अपनी सकारात्मक तस्वीर बनाने में सहायता मिलेगी और बाहर से आने वाले लोग दोबारा आने में उत्साहित होंगे।

सारांश

निश्चय ही ऐसा नहीं है कि हर कलीसिया जिसने नई बिल्डिंग बनाई है उसका विकास रूप ज़्या हो या उसे इसके कारण कोई आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा हो। बहुत सी कलीसियाएं जो आज उन्नति कर रही हैं उन्होंने अपनी बिल्डिंगें ''चर्च बिल्डिंग मेनिया'' अर्थात गिरजे बनाने के जनून के समय ही बनाई थीं।

यह कहीं नहीं लिखा कि कलीसियाओं को प्रार्थना भवन नहीं बनाने चाहिए, लेकिन बनाने से पहले उसके सही उद्देश्य और सही प्रश्नों को ध्यान में रखना आवश्यक है। बनाने का निर्णय ले लेने के बाद, कलीसिया के अगुओं को चाहिए कि वे ''इसे जल्द बना लें।'' जब नई बिल्डिंग की सचमुच आवश्यकता है, उसे अच्छी तरह तैयार करके और सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता है तो यह कलीसिया को दिए परमेश्वर के काम को पूरा करने में सहायता के लिए एक अद्‌भुत औजार हो सकता है।

पाद टिप्पणियां

[1]''कॉन्सटेंटाइन के काल तक हमें प्रार्थना के लिए विशेष तौर पर बनाई गई इमारतों या भवनों का पता नहीं चलता। अगर कोई जगह थी जहां पर किसी सभा को मिलने की अनुमति होती थी वह मसीही लोगों का इकट्ठ ही था।'' एवरट फर्ग्युसन, *अरली क्रिश्चियन्स स्पीक* (ऑस्टिन, टैज़्सस: स्वीट पज़्लिशिंग कं., 1971), 76. [2]इरा नॉर्थ ने ''ओवरबिल्ट ऐण्ड अन्डरयूज़्ड,'' *बैलेंस्ड* (नैशविल्ले: गॉस्पल एडवोकेट कज़्पनी, 1983), 41 में इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया। [3]जॉय एल. मैकमिलियन ऐण्ड आर. स्कॉट लेमस्कस, ''टू चर्चस सेय इट वाज़ ए मिस्टेक,'' *क्रिश्चियन क्रोनिकल* 45 (नवज़्बर 1988): 1, 6; ''फाइनेंशियल पेरिल्स सैप चर्च विटेलिटी,'' *क्रिश्चियन क्रोनिकल* 46 (जनवरी 1989): 1, 6; ''चर्चज़ फाइंड सज़्सेसफुल डैट, मिनिस्टरी बैलेंस,'' *क्रिश्चियन क्रोनिकल* 46 (मार्च 1989): 1, 6. [4]उदाहरण के लिए कोका - कोला कज़्पनी ने केवल यह जानने के लिए कि लोगों की बहुसंज़्या ''पुराने'' कोक को पसन्द करती है, एक नया कोक मार्किट में उतारा। इस प्रकार, पुराना कोक ''कोका - कोला ज़्लासिक'' के नाम से बिकता रहा और कज़्पनी ''न्यू'' कोक के महत्व के बारे में चुप है कि यह अभी तक बिक रहा है। [5]जॉय एल. मैकमिलियन एण्ड आर. स्कॉट लेमस्कस, ''चर्चज़ फाइंड सज़्सेसफुल डैट, मिनिस्टरी बैलेंस,'' *क्रिश्चियन क्रोनिकल* 46 (मार्च 1989): 6 में उद्धृत। [6]यही नियम है जो कलीसियाएं इस उज़्मीद से कि नई बिल्डिंग के लिए पैसे दे सकेंगी बिल्डिंग फंड में पैसे डाल देती हैं उन्हें बाद में पता चलता है कि बिल्डिंगों का मूल्य उनके फंड से अधिक तेजी से बढ़ता है। परन्तु अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए कुछ कलीसियाओं ने विशेष चंदा इकट्ठा करके नई बिल्डिंग बनाने से पहले या उसके बनते ही उनका पूरा पैसा (या उसका अधिकतर भाग) चुका दिया है। [7]जॉय एल. मैकमिलियन एण्ड आर. स्कॉट लेमस्कस, ''चर्चज फाइंड सज़्सेसफुल डैट, मिनिस्टरी बैलेंस,'' *क्रिश्चियन क्रोनिकल* 46 (मार्च 1989): 6 में उद्धृत। [8]उन्हें ''अशरफियां लुटाने पर कोयलों पर मोहर'' पर लगाने वाले अर्थात ऐसे खर्चे करने से बचना चाहिए जिससे उन पर बाद में आर्थिक बोझ बढ़ जाए। [9]नॉर्थ 42-44.